न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 207 सन 2019

अनवान :-

1. अशरफ खां पुत्र सोणे खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1. सोणे खां पुत्र नादर खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जावेद पुत्र सोणेखा जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर
3. सिकन्दर खां पुत्र सोने खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 27/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/123 के खसरा न0 52 की 2.1630हैक खसरा न0 109 की 0.9110हैक खसरा न0 111 की 7.4360हैक खसरा न0 229 की 2.5540हैक कुल 13.0640हैक में से 2.6128हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने चक 22 केएनएन के खाता संख्या 20/19 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा अपने नाम से रख ली है और वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बाहमी बटवारा में दी गई है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नादरखां पुत्र सारबरखां के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,जो वादी का है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया जा रोही मौजा 22 एनटीआर की भूमि अपने नाम से बाहमी बटवारा में रख ली है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/123 के खसरा न0 52 की 2.1630हैक खसरा न0 109 की 0.9110हैक खसरा न0 111 की 7.4360हैक खसरा न0 229 की 2.5540हैक कुल 13.0640हैक में से 2.6128हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा नादरखां पुत्र सारबरखां के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने चक 22 केएनएन के खाता संख्या 20/19 की कुल 6.3250हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा अपने नाम से रख ली है और वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बाहमी बटवारा में दी गई है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 122/123 के खसरा न0 52 की 2.1630हैक खसरा न0 109 की 0.9110हैक खसरा न0 111 की 7.4360हैक खसरा न0 229 की 2.5540हैक कुल 13.0640हैक में से 2.6128हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सें दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि नादरखां पुत्र सरबरखां के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नादरखां पुत्र सरबरखां के नाम से दर्ज है वादी के दादा नादरखां पुत्र सरबरखां के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के

उपखण्ड अधिकारी (...)

पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने चक 22 केएनएन के खाता संख्या 20/19 की कुल 6.3250हैव भूमि में से 1/5 हिस्सा अपने नाम से रख ली है और वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को बाहमी बटवारा में दी गई है । इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता सख्या 122/123 की कुल 13.0640हैव भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अशरफ खां पुत्र सोणे खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सोणे खां पुत्र नादर खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जावेद पुत्र सोणेखा जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर
3. सिकन्दर खां पुत्र सोने खां जाति राठ मुसलमान निवासी ढाणीलाल खां तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 207 सन 2019 निर्णय दिनांक– 27/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता सख्या 122/123 की कुल 13.0640हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते